न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना जिला बिजनौर।
परिवाद सं0 1984/22
योगिता राठी बनाम अध्यापक संयोगिता विश्नाई
थाना नगीना।

UPBJ160025002022

05–07–23

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादनी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। परिवादपत्र में बताये गये तथ्यों के आधार पर विपक्षीगण को विचारण हेतु तलब किये जाने की मांग की गई। परिवादपत्र के परिशीलन से विदित है कि इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 11–04–22 को पूर्व में योजित परिवाद सं0 439/11 वादी द्वारा कोई पैरवी न करने तथा अदम पैरवी के कारण समाप्त कर दिया गया था। प्रस्तुत परिवादपत्र के माध्यम से परिवादनी पूर्व में समाप्त की जा चुकी कार्यवाही को पुनः चलाने हेतु तथा परिवाद सं0 439/11 में पारित तलबी आदेश दिनांकित 25–10–12 के आधार पर विपक्षी श्रीमति संयोगिता को विचारण हेतु तलब किये जाने एवं विचारा करने की प्रार्थना कर रहे है। परिवादनी के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना गया तथा प्रस्तुत परिवादपत्र तथा पूर्व में पारित आदेश दिनांकित 11–04–22 को परिशीलन किया गया। प्रस्तुत मामले में वांछित अनुतोष इस न्यायालय द्वारा अपने ही आदेश के पुनरीक्षण करने के समान माना जायेगा। प्रस्तुत मामले में परिवादनी के पास आदेश दिनांकित 11–04–22 के पुनरीक्षण कराये जाने की व्यवस्था उपलब्ध थी परन्तु उनके द्वारा लंबा समय निकल जाने के चलते परिसीमा के बीत जाने के बाद इस न्यायालय में पूर्व में खारिज किये जा चुके वाद को पुर्नस्थापित किये जाने की मांग की गई जो कि किसी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत परिवाद निरस्त किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली निमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नगीना।